

आखिरी जांच: 24 सितंबर 2026

Pre-Matric Scholarship for Scheduled Castes and Others

कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए सालाना भत्ता।

क्या मिल सकता है

2022-23 से सालाना शैक्षणिक भत्ता: डे स्कॉलर के लिए 3,500 रुपये और हॉस्टल वालों के लिए 7,000 रुपये (भाग 1)। दिव्यांग विद्यार्थियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त।

किसके लिए है

कक्षा 9 या 10 में नियमित पढ़ने वाला अनुसूचित जाति का विद्यार्थी, जिसके माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपये सालाना तक हो, आवेदन कर सकता है।

मुख्य शर्तें

- अनुसूचित जाति से हो
- कक्षा 9 या 10 में नियमित पढ़ाई
- माता-पिता या अभिभावक की आय 2.50 लाख रुपये सालाना से ज्यादा न हो
- भारतीय नागरिक
- इन्हीं कक्षाओं के लिए कोई और छात्रवृत्ति न ले रहा हो

दस्तावेज़

- आय प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र, जैसा राज्य पोर्टल मांगे

आवेदन कैसे करें

- आवेदन शुरू होने पर (आमतौर पर अप्रैल से) नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल या अपने राज्य के पोर्टल पर रजिस्टर करें।
- इस योजना का फॉर्म भरें और कागजात अपलोड करें।
- स्कूल आवेदन सत्यापित करता है और राज्य उसे आगे बढ़ाता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: <https://socialjustice.gov.in/public/ckeditor/upload/90101653029266.pdf>

आधिकारिक आवेदन: <https://scholarships.gov.in/ApplicationForm/>

आधिकारिक PDF: <https://socialjustice.gov.in/public/ckeditor/upload/90101653029266.pdf>

LABHLO पेज: <https://labhlo.in/hi/schemes/central/pre-matric-scholarship-sc/>



LABHLO सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।

LABHLO एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंजूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।